

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)टिब्बी जिला हनुमानगढपीढासीन अधिकारी :-सत्यनारायण आर.ए.एस.मि0न0 113 /2026

- 1 सुखविन्द्र सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चन्दूरवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

- 1 हरमीत सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चन्दूरवाली हाल ए-393 सैकिण्ड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी लाजपतनगर दक्षिण दिल्ली तहसील व जिला दिल्ली।
- 2 हरपाल सिंह पुत्र स्वर्णसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी चन्दूरवाली हाल ए-393 सैकिण्ड फ्लोर डिफेंस कॉलोनी लाजपतनगर दक्षिण दिल्ली तहसील व जिला दिल्ली।
- 3 संतोष कौर पुत्री स्वर्णसिंह पत्नी रणजीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 48 जी.बी. ए. विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 4 जपत कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 48 जी बी ए. विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
- 5 राजविन्द्र कौर पुत्री स्वर्ण सिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति कम्बोज सिख निवासी हाउस नं0 149 सैक्टर नं0 03, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ।
- 6 समिन्द्र कौर पुत्री स्वर्णसिंह पत्नी मलकीत सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 7 ए पीडी बी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
- 7 बलजीत कौर पुत्री स्वर्णसिंह पत्नी हरवेल सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 19 ए. एस. कुपली जिला श्रीगंगानगर।
- 8 जगिन्द्र कौर पत्नी स्वर्ण सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी वार्ड नं0 03, चन्दूरवाली तहसील-टिब्बी-जिला-हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

डिक्रीदिनांक...30/3/26.....

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैल सिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक 13 सीडीआर के खाता- सं0 200/193 में कुल 0.5190 है0 कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन कर चक 13 सीडीआर के खाता सं0 200/193 में से स्वर्णसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर (राजस्व)  
उपखण्ड टिब्बी अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।

प्रमाणित इतिमिपि  
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी